

**। कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा ।**

इस कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण बाद निम्नानुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेप दिनांक 10.08.2017 का संदर्भ में आप द्वारा दिनांक 23.01.2018 को Reply दिया गया है जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेप दिनांक 02.01.2018 का जवाब आप द्वारा नहीं दिया गया है जो अपेक्षित है।

Objection:-

- 1- Cross sectional map of the proposed road along with the details of area calculation change wise may be submitted.
- 2- Justification for proposed with in area calculation may be provided.
- 3- Original Toposheet for CA and land to be diverted may be submitted.